तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/3422/2002/अलवर श्रीमती सरती बनाम श्रीमती विद्या देवी वैगरहा एवं उनके विधिक वारिसान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.01.25	**एकलपीठ** **कमला अलारिया, सदस्य** **उपस्थित** श्रीमती पूनम माथुर व श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अधिवक्तागण प्रार्थी श्री रोहित सोनी, अधिवक्ता अप्रार्थीगण **निर्णय** प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय सहायक जिलाधीश, बहरोड अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-05-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के मृतक पिता रामनाथ सिंह द्वारा एक राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं हुक्म इन्तयामी दुआमी व बेदखली का अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध परीक्षण न्यायालय सहायक जिलाधीश, बहरोड अलवर के समक्ष विवादित आराजी बाबत प्रस्तुत किया गया। परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/वादीगण एकपक्षीय बहस सुनते हुये वादी का वाद अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2000 से डिक्री कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2000 के विरूद्ध अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 मय धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु ना ही किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी किया गया और ना ही नोटिस तामील करवाया गया। इसके साथ ही परीक्षण न्यायायल ने मृतक अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण बहादुर व भोमाराम आदि के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। परीक्षण न्यायालय ने अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 पर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/3422/2002/अलवर श्रीमती सरती बनाम श्रीमती विद्या देवी वैगरहा एवं उनके विधिक वारिसान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उभयपक्ष की सुनवाई करते हुये अपने निर्णय दिनांक 29.05.2002 से प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुये एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2000 को अपास्त कर दिया। परीक्षण न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 29.05.2002 के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गयी है। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी में सुनी गयी । प्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण पर सम्मन दिनांक 23.10.97 की पेशी हेतु जारी किया गया था परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उक्त सम्मन लेने से इंकार कर दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 31.12.97 की तारीख नियत की गयी । इस दिनांक को प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे। इसके बाद दिनांक 09.01.98 को प्रतिवादीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये तो उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। तत्पश्चात प्रार्थी की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त करते हुये परीक्षण न्यायायल ने एकपक्षीय निर्णय डिक्री दिनांक 27.10.2000 पारित कर दी। उक्त आधार पर यह नहीं कहा जा सकता की परीक्षण न्यायायल द्वारा प्रतिवादीगण को प्रकरण की सूचना नहीं दी गयी। उक्त समस्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये परीक्षण न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 स्वीकार करने में गंभीर त्रुटि की है जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि दावा में प्रतिवादी संख्या 1 बहादुर सिंह दिनांक 08.10.99 को प्रतिवादी संख्या 2 भोमाराम दिनांक 26.11.98 को फौत हुये है । ये दोनों ही प्रतिवादीगण एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 09.01.98 के बाद फौत हुये है जिनके वारिसान को नोटिस दिया जाना व रिकार्ड पर लेने का कोई औचित्य नहीं है। विद्वान	

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

निगरानी/टी0ए0/3422/2002/अलवर
श्रीमती सरती बनाम श्रीमती विद्या देवी वैगरहा एवं उनके विधिक वारिसान</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td></td><td>अभिभाषक ने तर्क दिया कि प्रतिवादीगण को न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किया गया परन्तु प्रतिवादीगण ने सम्मन लेने से इंकार कर दिया। तामील कुनिन्दा ने दो गवाहों की उपस्थिति में उनके आबाद मकान पर सम्मन चस्पा कर दिया। इसलिए यह कहा जाना कि प्रतिवादीगण को प्रकरण के संबंध में सुनवाई हेतु को नोटिस अथवा सम्मन जारी नहीं किये गये पूर्णतया असत्य व मिथ्या है। परन्तु परीक्षण न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों व आधारों को नजरअंदाज करते हुये अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 स्वीकार किया है जो पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रतिउत्तर में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण कथन किया कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को परीक्षण न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की सूचना अथवा कोई व्यक्तिगत तामील उक्त प्रकरण के सबंध में नहीं करायी गई तथा जो कथित तामील नोटिस की चस्पानगी व व्यक्तिगत प्रगट की है वह वादी ने अपने मिलने वाले व्यक्तियों की गवाही कराकर झूठी तामील करायी है। तामील कुनिन्दा कभी भी प्रतिवादीगण के पास नहीं गया और ना ही प्रतिवादीगण को तामील करायी। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने मृतक प्रतिवादीगण बहादुर सिंह व भोमा के विरूद्व एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2000 पारित कर दी जो पूर्णतया विधि विरूद्ध थी, जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.05.2002 से अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश 5 नियम 19 की पालना किये बिना ही एकपक्षीय डिक्री पारित की गयी जो विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय थी जिसे परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.05.2002 से अपास्त</td><td></td></tr>
</table>

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/3422/2002/अलवर श्रीमती सरती बनाम श्रीमती विद्या देवी वैगरहा एवं उनके विधिक वारिसान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करने में कोई गलती नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि वादीगण द्वारा ना तो तामील कुनिन्दा के बयान कराये गये और ही हस्ताक्षर करने वाले गहवाहों के बयान कराये गये। इसलिए इस तथ्य पर विश्वास किया जाना संभव नहीं है कि तामील कुनिन्दा ने प्रतिवादीगण के इंकार करने पर सम्मन चस्पा कर दिये थे। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने 2012 आर0बी0जे0 पेज 110, 119, 605, 2013 आर0बी0जे0 पेज 296, 2023 आर0आर0टी0 पेज 27 , 2014 आर0बी0जे0 पेज 721 आदि न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करते हुये निगरानी को खारिज करने का निवेदन किया । उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय की एकपक्षीय डिक्री को अपास्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 निर्धारित अवधि में ही प्रस्तुत करते हुये एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने का निवेदन इस आधार किया गया था कि प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को राजस्व मंडल से पत्रावली प्राप्त होने के पश्चात व्यक्तिगत तामील की सुनिश्चता नहीं कराई गयी। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलबध आदेशिकाओं एव उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिससे यह जाहिर होता है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा दिनांक 03.09.97 को प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करते हुये आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.10.97 पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने हेतु पाबंद किया गया। उक्त नोटिस की पुश्त पर तामील कुनिन्दा द्वारा यह अंकित किया कि प्रतिवादीगण यथा बहादुर सिंह, भोमा, बनवारी व रामकुमार के दौराने तामीली उपस्थित रहने के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/3422/2002/अलवर श्रीमती सरती बनाम श्रीमती विद्या देवी वैगरहा एवं उनके विधिक वारिसान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बावजूद भी उनके द्वारा नोटिस लेने से इंकार किये जाने की स्थिति में उक्त नोटिस को प्रतिवादीगण के निवास स्थान पर चस्पा करते हुये तामील करवाये गयी। उक्त नोटिस की प्रति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी. पी0सी0 का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने की स्थिति में उक्त तामील रिपोर्ट का परीक्षण कराने पर पाया गया कि रिपोर्ट पर सबंधित तहसील के तामील कुनिन्दा का नाम अंकित नहीं है केवल मात्र गवाहान के हस्ताक्षर है। यहां यह उल्लेख किया जाना अपरिहार्य हो जाता है कि किसी भी पक्षकार की तामील जरिये चस्पांदगी किये जाने के संबंध में संबंधित न्यायालय द्वारा इस आशय के आदेश जारी करने के उपरांत ही तामील कुनिन्दा द्वारा पक्षकारों के नोटिस जरिये चस्पांदगी तामील करवाये जा सकते है। प्रकरण में इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश जारी किया गया हो, पत्रावली में बतौर साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। परीक्षण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों को ध्यान रखते हुये तथा यह पाये जाने पर की प्रकरण में प्रतिवादीगण की तामील की सुनिश्चता निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व नहीं की गयी है। आक्षेपित आदेश के माध्यम से अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सी0पी0सी0 स्वीकार किया गया है। इस संबंध में हमने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 9नियम 13 का अवलोकन किया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि – **Code of Civil Procedure 1908.-** Order 9 Rule 13 and order 5 Rule 17- When without proper service of summons to the defendant ex-parte decree was against him. Decree is illegal. प्रकरण में चूंकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह जाहिर है कि अधीनस्थ	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/3422/2002/अलवर श्रीमती सरती बनाम श्रीमती विद्या देवी वैगरहा एवं उनके विधिक वारिसान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2000 को पारित करने से पूर्व प्रतिवादीगण की सम्मन तामीली की सुनिश्चता नहीं की गयी है। इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2013 आर0बी0जे0 पेज 296 का अवलोकन किया गया जिसमें अभिलिखित किया गया है कि – Code of Civil Procedure 1908- Order 5 Rule 17 - Service of notice by affixation. When notice is served by affixation on the residence of petitioner, service should have been supoorted by two witnesses whose name and address ought to recorded /disclosed by the Process Server on his report. Without this there will be no proper serivce of notice. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत प्रकरण की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये पूर्णतया चस्पा होता है। यहां यह अभिलिखित किया जाना भी समीचीन होगा कि किसी भी वाद पत्र के निस्तारण से पूर्व न्यायालय को सारभूत कानून (substantial law) एंव प्रक्रियात्मक कानून (Procedure law) की पालना सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होता है। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2000 पारित करने से पूर्व प्रक्रियात्मक कानून (Procedure law) की पालना सुनिश्चित नहीं किया जाना स्पष्ट रूप से जाहिर होता है। ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय ने समस्त तथ्यों का पूर्ण परीक्षण एवं विश्लेषण करने के पश्चात ही प्रतिवादीगण/ अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 स्वीकार किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं परीक्षण न्यायालय सहायक जिलाधीश, बहरोड अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टी0ए0/3422/2002/अलवर श्रीमती सरती बनाम श्रीमती विद्या देवी वैगरहा एवं उनके विधिक वारिसान	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	29-05-2002 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(कमला अलारिया)** **सदस्य**	